इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों की मान्यता एवं पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश

भूमिका

1. होटल तथा अन्य पूरक आवास किसी स्थान पर पर्यटक के किसी स्थान की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उनकी यात्रा को यादगार बना सकती है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय सेवाओं की आरामदायक होम स्टे सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ और महानगरों तथा पर्यटक गंतव्यों में आवास की उपलब्धता को पूरा करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे सुविधाओं वाले पूर्ण रूप से संचालित कमरों को इंक्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे (बीएण्डबी) इकाईयों के रूप में वर्गीकृत करेगा। इसका मूल विचार विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के लिए समान रूप से स्वच्छ और वहनीय स्थान प्रदान करना है जिसमें विदेशी पर्यटकों के लिए विशुद्ध भारतीय व्यंजन का स्वाद लेने तथा भारतीय रिवाजों एवं परंपराओं का अनुभव लेने के लिए भारतीय परिवार के साथ रहने का अवसर शामिल है।

2. इंक्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे सुविधाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

   (क) सिल्वर

   (ख) गोल्ड

3. दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति, प्रदान की जा रही सेवाओं और सुविधाओं के आधार पर बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करेगी। ऐसी इकाईयों की मान्यता हेतु अपेक्षित दस्तावेज और स्तरों, सुविधाओं, सेवाओं के ब्यौरे इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।

4. एक बार पर्यटन मंत्रालय से अनुमोदन मिल जाने पर इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों का विधिवत प्रचार किया जाएगा। अनुमोदित की गई ऐसी सभी इकाईयों की एक निर्देशिका भी तैयार की जाएगी, ताकि घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को भी घर जैसे वातावरण में रहने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे लोगों के लिए आतिथ्य व्यवस्था में अल्पकालिक प्रशिक्षण के आयोजन के लिए प्रयास किए जाएंगे जो ऐसे प्रशिक्षण के लिए इच्छुक होंगे।

विस्तृत दिशा-निर्देश

1. इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों के लिए वर्गीकरण सिर्फ उन्हीं मामलों में किए जाएंगे जहां उस इकाई के मालिक/प्रमोटर अपने परिवार के साथ उसी इकाई में निवास कर रहे हों और कम से कम एक कमरा तथा अधिकतम 6 कमरे (12 बेड) किराए पर दे रहे हों।

2. यह योजना बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के आधार पर होगी और इसी के अनुसार शुल्क होगा। प्रदान किए जाने वाले नाश्ते के बारे में पहले ही बताना होगा, कीमत डिस्पले करनी होगी और अनावश्यक विवाद से बचने के लिए अतिथियों को पूर्व में सूचना देनी होगी।

3. एक बार कोई इकाई वर्गीकरण/पुन:वर्गीकरण के लिए आवेदन करती है तो उसे किसी भी समय क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रहना पड़ेगा। निरीक्षण को स्थगित करने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. आदेश जारी करने की तिथि से दो वर्षों के लिए वर्गीकरण मान्य होगा अथवा पुन:वर्गीकरण के मामले में पिछले वर्गीकरण की समाप्ति की तिथि से मान्य होगा। बशर्ते कि आवेदन निर्दिष्ट अवधि में हो अर्थात् पिछले वर्गीकरण की समाप्ति से 3 माह पूर्व।

5. वर्गीकरण के लिए आवेदन कर रही इन्क्रेडिबल बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों को अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित सभी सूचना निम्नलिखित प्रपत्रों के अनुरूप प्रदान करनी होगी:-

(क) आवेदन प्रपत्र अनुबंध-I में दिए गए अनुसार

(ख) सुविधाओं की चेक लिस्ट अनुबंध-II में दिए गए अनुसार

(ग) वचन बंध अनुबंध-III में दिए गए अनुसार

6. भारत सरकार हेतु इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे के वर्गीकरण/पुन:वर्गीकरण के लिए भुगतान की जाने वाले आवेदन शुल्क निम्नानुसार होंगे। डिमांड ड्राफ्ट "वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में देय होंगे।

सितारा श्रेणी	वर्गीकरण/पुन:वर्गीकरण के लिए
सिल्वर	₹ 3,000
गोल्ड	₹ 5,000

7. दो चरण के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों को वर्गीकृत किया जाएगा।

(क) सुविधाओं तथा सेवाओं की मौजूदगी का मूल्यांकन संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। (चेक लिस्ट को विधिवत् भरना होगा और इसमें सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर आवेदन के साथ जमा करना होगा)।

(ख) सुविधाओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसे घरों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि भारतीय सजावट, वास्तविक एवं विशुद्ध भारतीय व्यंजन आदि द्वारा भारतीय अनुभव प्रदान करने में सक्षम हैं।

8. क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारत पर्यटन - अध्यक्ष।
2. आईएटीओ के प्रतिनिधि।
3. टीएएआई के प्रतिनिधि।
4. स्थानीय भारत पर्यटन कार्यालय के प्रतिनिधि।
5. राज्य पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि।

9. अध्यक्ष तथा अन्य कोई दो सदस्य एक कोरम का गठन करेंगे। समिति की सिफारिश को होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) के अध्यक्ष द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।

10. क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति द्वारा बनाई गई किन्हीं कमियों/सुधारों का अनुपालन उस अनुबंधित अवधि के भीतर करना होगा, जो कि निरीक्षण के दौरान इकाई के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई हो। ऐसा नहीं करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

11. एचआरएसीसी के अध्यक्ष से समिति आवेदन की गई श्रेणी से एक श्रेणी नीचे अथवा एक ऊपर की सिफारिश कर सकती है। यदि आवेदन की गई श्रेणी, समिति द्वारा सिफारिश की गई श्रेणी से ऊँची है, तो आवेदक को सिफारिश की गई श्रेणी के लिए अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा। तथापि, आवेदन की गई श्रेणी से नीचे की श्रेणी की सिफारिश करने के मामले में अतिरिक्त वर्गीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

12. इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई से हमेशा अपेक्षित स्टैण्डर्ड को बनाए रखने की आशा की जाएगी। अध्यक्ष, एचआरएसीसी किसी भी समय, बिना किसी पूर्व नोटिस के इकाई का अचानक निरीक्षण करवा सकते हैं।

13. इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई की सुविधाओं में किसी प्रकार के बदलाव की सूचना क्षेत्रीय निदेशक, भारत पर्यटन कार्यालय को 30 दिनों के भीतर देनी होगी। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन समिति के ध्यान में आता है, तो वर्गीकरण वापिस ले लिया गया/रद्द समझा जाएगा।

14. संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिए जाने के 30 दिनों के भीतर वर्गीकरण के सभी मामलों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

15. एचआरएसीसी के निर्णय से किसी प्रकार की असंतुष्टि के मामले में, वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण के संबंध में पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समीक्षा तथा पुनर्विचार के लिए सचिव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से अपील कर सकता है। इस अवधि के बाद किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास समय-समय पर दिशा-निर्देशों/निबंधन और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

17. वर्गीकृत इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों के लिए भुगतान की जाने वाली संपत्ति, विद्युत तथा जल कर की दरें उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगी।

नोट : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मद सं. 5(सी), 6, 8 और 15 में उपयुक्तता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

कहां आवेदन करें (भारत सरकार की योजना हेतु)

अपेक्षित फीस के साथ आवेदन निम्न को भेजे जा सकते हैं:-

1. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), भारत पर्यटन, 88 जनपथ, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन नं.-011-23320005/8 (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और आगरा एवं वाराणसी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के लिए)।

2. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम) भारत पर्यटन, 123 एम, कार्वे रोड, मुम्बई-400020 टेलीफोन नं.-022-22033144 (गुजरात, छत्तीसगढ़, दमन एवं द्वीव संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली और औरंगाबाद को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य के लिए)।

3. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) भारत पर्यटन, 154 अन्ना सलाई, चैन्नई-600002 टेलीफोन नं.-044-28461459 (तमिलनाडु राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए)।

4. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) भारत पर्यटन, 'एम्बेसी', 4 शेक्सपीयर सारणी, कोलकाता-700071 टेलीफोन नं.-033-22821475 (पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्य के लिए)।

5. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर-पूर्व), भारत पर्यटन, असोम पर्यटन भवन, ए.के. आजाद रोड, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781008 टेलीफोन नं.-0361-2373554 (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम राज्य के लिए)।

6. निदेशक, भारत पर्यटन, केएफसी बिल्डिंग, 48 चर्च स्ट्रीट, बंगलौर-560001, कर्नाटक टेलीफोन नं.-080-25585417 (कर्नाटक राज्य के लिए)।

7. निदेशक, भारत पर्यटन, स्टेट होटल, खासा कोठी, जयपुर-302001 टेलीफोन नं.-0141-2372200 (राजस्थान राज्य के लिए)।

8. निदेशक, भारत पर्यटन, आर-ब्लाक, क्रान्ती मार्ग, इंजिनियरिंग इन्स्टीयूट बिल्डिंग, पटना-800001, बिहार। टेलीफोन नं.-0612-6570640 (बिहार राज्य के लिए)।

9. प्रबंधक, भारत पर्यटन, 191, दि माल, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश टेलीफोन नं.-0562-2226378 (आगरा शहर के लिए)।

10. प्रबंधक, भारत पर्यटन, 15 बी, दि माल, वाराणसी-221001, उत्तर प्रदेश टेलीफोन नं.-0542-2501784 (वाराणसी शहर के लिए)।

11. प्रबंधक, भारत पर्यटन, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, लेविस रोड, भुवनेश्वर-751014, उड़ीसा टेलीफोन नं.-0674-2432203 (उड़ीसा राज्य के लिए)।

12. प्रबंधक, भारत पर्यटन, इन्दौर, तीसरी तल, पालिका प्लाजा एमटीएच कम्पाउन्ड, इन्दौर 452007, टेलीफोन नं. 0731-4239940 (मध्य प्रदेश राज्य के लिए)।

13. प्रबंधक, भारत पर्यटन, वी.आई.पी. रोड़, 189, द्वितीय तल, पोर्ट ब्लेयर-744103, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह टेलीफोन नं.-03192-236348 (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए)।

14. प्रबंधक, भारत पर्यटन, भू तल, पर्यटक भवन, # 6-3-8-70 ग्रीन लैन्डस, बेगमपैट, हैदराबाद-500016, आन्ध्र प्रदेश टेलीफोन नं.-040-23409199 (आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए)।

15. प्रबंधक, भारत पर्यटन, विलिंग्डन द्वीप, कोच्चि-682009, केरल टेलीफोन नं.-0484-2668352 (केरल राज्य के लिए)।

16. प्रबंधक, भारत पर्यटन, कम्युनिदाद बिल्डिंग, चर्च स्कवायर, पणजी-403001, गोवा टेलीफोन नं.-0832-2223412 (गोवा राज्य के लिए)।

17. प्रबंधक, भारत पर्यटन, पर्यटक स्वागत केन्द्र, प्रथम तल, महाराष्ट्र पर्यटन विकाश निगम होलीडे रिसोर्ट, गोल्डी सिनेमा, स्टेशन रोड, औरंगाबाद-431005, महाराष्ट्र टेलीफोन नं.-0240-2364999 (औरंगाबाद शहर के लिए)।

18. प्रबंधक, भारत पर्यटन, यू तिरोट सिंह सीयम रोड, पोलिस बाजार, शिलांग-793001, मेघालय टेलीफोन नं.-0364-225632 (मेघालय राज्य के लिए)।

19. प्रबंधक, भारत पर्यटन, सेक्टर 'सी' बारापानी पोलिस प्वाइंट, नाहरलागुन-791110, अरूणाचल प्रदेश टेलीफोन नं.-0360-2244328 (अरूणाचल प्रदेश राज्य के लिए)।

20. प्रबंधक, भारत पर्यटन, ओल्ड लाम्बु लेन, जेल रोड, इम्फाल-795001, मणिपुर। टेलीफोन नं.-03852-221131 (मणिपुर राज्य के लिए)।

होम स्टे इकाई हेतु आवेदन प्रपत्र

1. इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई का नाम

2. श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया गया

3. प्रमोटरों/मालिकों के उनकी पृष्ठभूमि पर एक नोट के साथ नाम एवं पता

4. इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई के पत्राचार का पूरा पता
   - (क) दूरभाष संख्या
   - (ख) फैक्स
   - (ग) ई-मेल
   - (घ) प्रमोटर का मोबाइल नं.

5. निम्नलिखित से इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई की दूरी, कि.मी. में
   - (क) एयरपोर्ट
   - (ख) रेलवे स्टेशन
   - (ग) सिटी सेंटर
   - (घ) नजदीकी प्रमुख शॉपिंग सेंटर
   - (ङ) नजदीकी बस स्टैंड/निर्धारित सिटी बस स्टॉप

6. इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई का ब्यौरा:-
   - (क) नाम के साथ क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) - स्वामित्व/पट्टेदारी पर (बिक्री/पट्टे बिलेख की प्रतियां संलग्न की जानी हैं)
   - (ख) स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज। मकान/भूमि के सह-भागीदार के मामले में हलफनामा।
   - (ग) प्रस्तावित गतिविधि तथा मालिक/मालिकों के पूर्व वृत्त के संबंध में क्या पुलिस अधिकारियों से क्लीयरेंस प्राप्त कर लिया गया है और (प्रति संलग्न की जानी है)
   - (घ) कमरों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी के कमरों (सिंगल/डबल/सुट्स) के लिए वर्ग फुट में क्षेत्रफल
   - (ङ) अटैच्ड बाथरूमों की सं.
   - (च) निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वर्ग फुट में सार्वजनिक क्षेत्र के ब्यौरे
     - (i) लॉबी/लाउंज
     - (ii) डाइनिंग स्पेस
     - (iii) पार्किंग सुविधाएं

(छ) उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाएं, यदि कोई हों (आवश्यक नहीं)

(i) इको-फ्रेंडली सुविधाएं

(ii) अन्यथा रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

(ज) अग्नि शमन उपकरण/हाइड्रेट्स आदि के ब्यौरे, यदि कोई हों

7. उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार, बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, पार्किंग आदि को दर्शाते हुए इंटिरियर सहित भवन की फोटो।

8. आवेदन शुल्क के भुगतान के ब्यौरे

9. अनुबंध-II के अनुसार चेक लिस्ट के ब्यौरे (इकाई में उपलब्ध सुविधाओं की विधिवत प्रमाणित चेक लिस्ट की प्रति संलग्न करें)

10. विनियामक शर्तों की स्वीकार्यता पर सहमति (अनुबंध-III के अनुसार इकाई के मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित वचन बंध की एक प्रति संलग्न करें)

इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाईयों के अनुमोदन और पंजीकरण के लिए चेक लिस्ट

क्रम सं.	सामान्य	सिल्वर	गोल्ड	सुविधाओं के संबंध में ईकाई द्वारा प्रमाणन हाँ/नहीं	वर्गीकरण समिति की टिप्पणी
1.	पारम्परिक जीवनशैली के मद्देनजर क्वालिटी कारपेटों/एरिया रग्स/टाइलों अथवा मार्बल फ्लोरिंग, फर्नीचर, फिटिंग आदि के साथ बेहतर रख-रखाव वाला और अच्छी प्रकार सुसज्जित घर और अतिथि कक्ष।	*एम	एम		
2.	सड़क की पर्याप्त चौड़ाई के साथ पर्याप्त पार्किंग।	**डी	एम		
3.	अतिथि कमरे: किराये पर देने के लिए न्यूनतम एक कमरा और अधिकतम 6 कमरे (12 बेड)। सभी कमरे स्वच्छ, हवादार, कीटरहित, बिना सीलन और बाहरी खिड़की/वैन्टीलेशन के साथ होने चाहिए।	एम	एम		
4.	प्रत्येक कमरे के लिए वर्ग फीट में न्यूनतम फ्लोर एरिया				
	प्लेन	120	200		
	हिल्स	100	120		
5.	भारतीय डिजाइन को तरजीह देते हुए अच्छी स्तरीय लीनन और बेडिंग के साथ आरामदायक बिस्तर।	एम	एम		
6.	टॉयलेटरिज के साथ-साथ प्रत्येक कमरे के साथ संलग्न प्राइवेट बाथरूम।	एम	एम		
7.	वर्गफीट में प्रत्येक बाथरूम का न्यूनतम साईज।	30	40		
8.	डब्ल्यूसी टॉयलेट में ढक्कनवाली एक सीट और टॉयलेट पेपर होना चाहिए।	एम	एम		
9.	यथोचित सीवरेज कनेक्शनों के साथ 24 घंटे रनिंग हॉट एण्ड कोल्ड वाटर।	एम	एम		
10.	वाटर सेविंग टेप्स/शावर।	डी	एम		
11.	अच्छी प्रकार से व्यवस्थित धुएं रहित, स्वच्छ, हाईजिनिक, दुर्गन्ध रहित, कीट रहित किचन।	एम	एम		

क्रम सं.	सामान्य	सिल्वर	गोल्ड	सुविधाओं के संबंध में ईकाई द्वारा प्रमाणन हाँ/नहीं	वर्गीकरण समिति की टिप्पणी
12.	फ्रेश कान्टीनेंटल और/अथवा पारम्परिक भारतीय ब्रेकफास्ट को सर्व करने वाला डाइनिंग एरिया।	एम	एम		
13.	अच्छी क्वालिटी की कटलरी और क्रॉकरी	एम	एम		
14.	पेशकश किए जाने वाले कमरे में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कमरे के तापमान के साथ मौसम की स्थितियों पर निर्भर करता हुआ एयरकंडिशनिंग/हीटिंग।	एम	एम		
15.	अनुरोध पर आयरन बोर्ड के साथ आयरन।	एम	एम		
16.	इंटरनेट कनेक्शन।	डी	एम		
17.	अतिथि कक्ष में 15 एम्पीयर अर्थनड पावर साकिट।	एम	एम		
18.	कमरे में एक्सटेंशन सुविधा के साथ टेलीफोन।	डी	एम		
19.	अतिथि कक्ष में कम से कम 14 क्लाथ हेंगरों के साथ अलमारी।	एम	एम		
20.	अतिथि कक्ष में शैल्फ अथवा दराज की जगह।	एम	एम		
21.	कम्पलीमेंटरी एक्वागार्ड/आरओ/मिनरल वाटर।	एम	एम		
22.	अच्छी किस्म की कुर्सियां, वर्किंग टेबल और अन्य आवश्यक फर्नीचर।	एम	एम		
23.	लॉंड्री/ड्राइकलिनिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था के साथ घर में वाशिंग मशीन/ड्रायर्स।	डी	एम		
24.	कमरे में रेफ्रिजरेटर।	डी	एम		
25.	एक लॉज अथवा लॉबी एरिया में बैठने की व्यवस्था।	डी	एम		
26.	संलग्न सार्वजनिक कमरों में हिटिंग और कूलिंग प्रदान की जाए।	डी	एम		
27.	म्यूनिसिपल कानूनों के अनुसार कचरा निपटान सुविधाएं।	एम	एम		
28.	कैश/चैक/डीडी स्वीकार करना।	एम	एम		
29.	अतिथियों के लिए मैसेज सुविधाएं।	एम	एम		
30.	डॉक्टरों के नाम, पता और टेलीफोन नम्बर।	एम	एम		
31.	लैफ्ट लगेज सुविधाएं।	एम	एम		
32.	अनुरोध करने पर लगेज के साथ सहायता।	डी	एम		

क्रम सं.	सामान्य	सिल्वर	गोल्ड	सुविधाओं के संबंध में ईकाई द्वारा प्रमाणन हाँ/नहीं	वर्गीकरण समिति की टिप्पणी
33.	कमरे में सेफकीपिंग सुविधाएं।	डी	एम		
34.	घर में स्मोक/हीट डिटेक्टर्स।	डी	डी		
35.	सुरक्षा गार्ड सुविधाएं।	डी	एम		
36.	विदेशी पर्यटकों के मामले में पासपोर्ट विवरणों सहित, अतिथियों के चैक-इन और चैक-आउट रिकार्ड के लिए रजिस्टर का रख-रखाव।	एम	एम		

* 'एम' अनिवार्य के लिए

** 'डी' वांछनीय के लिए

नोट: विभिन्न श्रेणियों में ग्रेडिंग आवास, सुविधाओं और प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

वचनबंध हेतु फार्मेट

सेवा में,

अध्यक्ष, एचआरएसीसी,
भारत सरकार,
पर्यटन मंत्रालय,
नई दिल्ली

वचनबंध

मैंने इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होम स्टे इकाई के अनुमोदन और पंजीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों में वर्णित सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्दवारा मैं उनका अनुपालन करने के लिए सहमत हूं। प्रदान की गई सूचना और दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सही और प्रामाणिक हैं।

मालिक का नाम और हस्ताक्षर
बड़े अक्षरों में

स्थानः
दिनांकः